

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

08
24/25

पोस्टरीय अफिस, दिल्ली
अवकाश में होने से निवृत्त पिनकोड
23/4/25 को पेश हो

[Signature]
रीटर

23/25 पत्रावलि पेश हुई। पत्रालय उप।
अंशों द्वारा पत्र शीर्षक पेश किया गया
जिस स्वीकार। तद्विषयक से प्राप्त
पिक्काजन प्रस्ताव पर योजने द्वारा स्वीकार
कर अपनी सहस्रदियकट को जारी। पत्रावलि
वापसी कादेश हेतु दिनांक 23/4/25 को
पेश है।

सहायक कलेक्टर बापिणी

08
24/25

पत्रावलि पेश हुई। पत्रालय उप।
पत्रों का पत्र स्वीकार किया जाता
है। पिक्काजन प्रस्ताव निर्णय का आग्रह
रहेगा। निर्णय पृथक से लिखन जाकर
शामिल पत्रावलि किया गया। अंलि स
डिफ्रीफर्ग जारी है। निर्णय की पालना
हेतु तद्विषयक बापिणी को तद्विषयक
है। पत्रावलि के साथ सुझाव होकर जबर
से कर है।

[Signature]

सहायक कलेक्टर बापिणी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बाधिणी जिला फलोदी

क्रमांक कोर्ट/2025/314

दिनांक :- 2/6/25

प्रेषित,

तहसीलदार बाधिणी ।

विषय-माफिक निर्णय की पालना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 193/23
अनवान जाब्तुकिशीर v/s जे.ब.ब.वर्मा धारा 53 निर्णय दिनांक 9/5/25

की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। अतः आप यदि किसी उच्चतर न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो
नियमानुसार माफिक निर्णय पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र प्रति।



रिजिडर

सहायक कलेक्टर फलोदी
बाधिणी जिला

सेवामें,



श्रीमान न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, लोहावट जिला जोधपुर।

Court
17/23

राजस्व वाद संख्या :- / 2023

- | वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|--|--|
| 1. नन्दकिशोर पुत्र मदनलाल
जाति माहेश्वरी निवासी
पुनासर तहसील बापिणी
जिला जोधपुर। | 1. जैराम पुत्र मोटाराम | 2. भूराराम पुत्र मोटाराम फोट के
कायम मुकाम -
2.1. जैराम पुत्र मोटाराम
(प्रतिवादी संख्या 01)
2.2. गुमानाराम पुत्र मोटाराम
2.3. नैनाराम पुत्र मोटाराम
2.4. माडू पुत्री मोटाराम
2.5. भंवरी पुत्री मोटाराम
2.6. सुवटी पुत्री मोटाराम
जाति लोहार निवासी पुनासर
तहसील बापिणी जिला
जोधपुर। |
| | 3. तहसीलदार बापिणी भूमिधारी
राजस्थान सरकार। | |

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवरजी,

वादी की ओर से निम्न निवेदन है कि -

gaur

1. यह है कि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल पूनासर के राजस्व ग्राम पूनासर में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कब्जा काशत सुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1274 रकबा 3.5693 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1274/1 रकबा 2.6871 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जावेंगी। वादग्रस्त भूमि की चालू चौसाला जमाबन्दी सलग्न वाद पेश है।
2. यह है कि वादग्रस्त भूमि में वादी को 1/3 हिस्सा की भूमि बन्ट आती है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 02 को 1/3 हिस्सा की भूमि बन्ट आती है। वादग्रस्त दोनों खसरान के मध्य से सड़क निकलती है वादी का अपने हक हिस्से की भूमि पर सड़क समानुपात में कब्जा काशत किया हुआ है वादी अपने हक हिस्से की भूमि का बन्टवाड़ा सड़क के अनुपात के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में करवाना चाहता है जिसका यह दावा पेश है।
3. यह है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन नहीं होने से वादी को अपने हिस्से की भूमि में विकास कार्य व काशत करवाने में कठिनाई हो रही है। आये दिन हक हिस्से की भूमि के विभाजन को लेकर वादी व प्रतिवादीगण में मनमुटाव रहता है। वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा राजस्थान काशतकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार करवाने के लिए यह वाद पेश है।
4. यह है कि वादग्रस्त भूमि में पक्षकारों का पूर्व में मौखिक बन्टवाड़ा किया जाकर मौकों पर भूमि कणा माठ से सड़क

समानुपात में अलग अलग की हुई है और पक्षकारान अपने अपने हिस्से मुताबिक अन्दाजीया तोर पर मौके पर काबिज काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि में वादी के बन्ट के कब्जा काश्त में रहवासीय ढाणी, पानी का टांका, पशुबाड़ा आदी बनाये हुए है। तथा अपने बन्ट की भूमि के चारो तरफ जाली तारबन्दी कर घेरी हुई है। वादी अपने हक हिस्से की भूमि सड़क के समानुपात में प्राप्त कर विभाजन करवाना चाहता है जिसका वादी अधिकारी है।

5. यह है कि उक्त वाद अधीन भूमि के मध्य से सड़क निकलती है वादी अपने हक हिस्से के अनुपात में सड़क पर बन्ट आने वाली भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है लेकिन वाद अधीन आराजी का राजस्व रेकर्ड मे बंटवारा नही किया हुआ है रेकर्ड में सामलाती खातेदारी दर्ज है तथा नक्शे में तरमीम की हुई नही है खाता अलग किया हुआ नही है। जिसको लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त करते वक्त आपस में वाद विवाद मन मुटाव एवं लड़ाई-झगडा करने के लिए उतारू रहते है प्रतिवादीगण को कई बार खातेदारी भूमि का राजस्व रेकर्ड मे सड़क के अनुपात में विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण हमेशा आना - कानी करते रहे हैं और कहते है कि जब भी मौका मिलेगा तो भूमि का विभाजन करवा देगे। लेकिन आज तक नही करवाया है तथा अभी हाल में दिनांक 22.07.2023 को प्रतिवादीगण ने वाद ग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए यह वाद खातेदारी बंटवाड़ा का मजबुरन पेश करना पड़ रहा और वादी सड़क समानुपात के अनुसार बंटवाड़ा आदि करवाने का हकदार है।

6. यह है कि बिनाय दावा दिनांक 22.07.2023 को ग्राम पुनासर की वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का सड़क के अनुपात में व कब्जा काश्त के माफिक विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार करने से उत्पन्न हुआ जो बिनाय दावा आज विघमान है।
7. यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 03 भूमिधारी तहसीलदार विवाद ग्रस्त भूमि का लैण्ड होल्डर होने से प्रफोर्मा पक्षकार पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं मांगा है।
8. यह है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि पटवार मण्डल पुनासर के राजस्व ग्राम पुनासर में घटित होने तथा दावा भूमि विभाजन का होने से अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।
9. यह है कि वाद का मूल्यांकन बाबत खातेदारी बंटवाड़ा का कायम किया जाने के लिए नियमानुसार न्यायालय शुल्क अलावा फर्द तलबना के पेश है।
10. यह है कि इस्तदुआ वादी की ओर से निम्न आशय की डिक्री बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे :-
 1. यह है कि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल पूनसार के राजस्व ग्राम पूनासर के खसरा नम्बर 1274 रकबा 3.5693 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1274/1 रकबा 2.6871 हैक्टेयर भूमि में वादी के 1/3 वें हक हिस्से की भूमि को सड़क के अनुपात में बन्टवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में किया जाकर प्रतिवादीगण से अलग किये जाने की डिक्री सादिर

- फरमाई जावें, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें।
2. यह है कि मुकदमा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलावे।
 3. यह है कि अन्य दीगर दारदसी वादी के हक मे उचित जो ब-नजदीक इन्साफ वादी के हक मे समझे सादीर फरमाई जावे।

तस्दीक :-

मैं वादी बमुकाम आज बमुकाम लोहावट में तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त दावा के समस्त पेरा मेरे निजी ज्ञान एवं मेरे अधिवक्ता के द्वारा दी गई कानूनी सलाह के अनुसार सही एवं सत्य है इसमें कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। इस सत्यता के लिए ईश्वर मेरी मदद करे।

इति दिनांक - 27/07/21

RAJU KAN GUPTA
ADVOCATE